15-5-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित है। उनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थीगणों को तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा कनबई पटवार हल्का कनबई तहसील खेरवाड़ा के पुराने खाता नं० 164 एवं नये खाता नम्बर 158 में कृषि आराजी सं० 3339 स्थित है। उक्त आराजी करीब 20 वर्ष से प्रार्थीगण के :- निरन्तर :-

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
	कब्जे में भूमि है उस पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। उसका एक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते एवं एक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश किया जाता है कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि कि स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवें तथा मुल वाद पत्र के साथ नथी रहे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)	